मुकदमा ..... मु0नं0 1210

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/6	[illegible] पेश किया। [illegible] अभिभाषक अभियोजन की तामीली [illegible] 23-6-18 को पेश हो	
23/6	पत्रावली पेश सीमा [illegible] अभियोजन की तामीली की जाकर दि 30-6-18 को पेश हो	
30/6/18	पत्रावली लोक अदालत कैम्प कोर्ट बावन पाड़ा पेश हुई।	
	पत्रावली का अवलोकन किया	
	प्राईमा फेसाई केश सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने योग्य है;	
	अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारीज की जाती है, पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो	

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जा कर लोक अदालत कैम्प बावन पाड़ा में सुनाया गया।